(वाद सं0.-7591/18)

03.07.2020

परिवादी, मंजु कुमारी, के आयोग के समक्ष दिये गये आवेदन पर संचिका उपस्थापित की गई। संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला दिनांक 03.12.2018 को संध्या 07–08 बजे के बीच मानिकपुर ओ0पी0 के तत्कालिन प्रभारी पु0अ0नि0 विरेष सिंह द्वारा अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर परिवादी के धर में धुसकर छापामारी करने तथा धर मे रखे सामान की चोरी करने व परिवादी, मंजू कुमारी , के साथ अभद्र व्यवहार करने से संबंधित है।

पूर्व मे आयोग द्वारा पुलिस अधीक्षक, अरवल के प्रतिवेदन के आलोक मे प्रसंगाधीन मामले को बंद कर दिया गया था। यह निर्णय लिपिकीय त्रुटिवष हुआ था जिसे सुधार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को उसके उसी नम्बर पर **पुर्नजीवित** किया जाता है।

पुलिस अधीक्षक, अरवल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन मे यह प्रतिवेदित किया गया था कि थाना दैनिकी मे परिवादी के धर पर छापामारी किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया था कि पु0अ0नि0 विरेष सिंह, वर्तमान में, स्थानांतरणोपरान्त रोहतास जिला मे पदस्थापित है तथा उनसे उनके मोबाईल पर परिवाद पत्र मे उल्लेखित तथ्यों के संबंध में पूछताछ की गई।

पु0अ0नि0 विरेष सिंह ने यह स्वीकार **किया है कि उन्होने उक्त तिथि को परिवादी के धर पर मानिकपुर ओ0पी0 के तत्कालीन प्रभारी, पु0अ0नि0 अविनाश कुमार, के आदेश पर छापामारी किया था। जबकि स्वयं पुलिस अधीक्षक, अरवल के प्रतिवेदनानुसार परिवादी के धर पर उस दिन छापामारी करने का कोई औचित्य/आधार नहीं था।**

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, अरवल के प्रतिवेदन के आलोक मे तत्कालीन मानिकपुर ओ0पी0 अध्यक्ष, पु0अ0नि0 अविनाष कुमार तथा पु0अ0नि0, विरेष सिंह (वर्तमान मे रोहतास जिला मे पदस्थापित) को आयोग के समक्ष दिनांक **21.09.2020** व्यिDrxr रूप से उपस्थित कराने हेतु **पुलिस महानिदेशक,बिहार, पटना के माध्यम से,** परिवादी के परिवाद पत्र (पृ0–01/प0), पुलिस अधीक्षक, अरवल के प्रतिवेदन (पृ0–6–5/प0), की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध किया जाय।

परिवादी को भी उक्त तिथि को उपस्थित होने हेत, नोटिस निर्गत किया जाय।

आज पारित आदेष की प्रति तथा उपरोक्त कथित प्रतिवेदन की प्रति को संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं उचित कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक, अरवल तथा रोहतास(सासाराम) को भी भेजी जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक